न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–497/2026
सिकटी थाना कांड संख्या– 137/2025

जाहीद.....आवेदक
बनाम
राज्य सरकार

आदेश

12-03-2026 आवेदक/अभियुक्त जाहीद की ओर से अपनी गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर बी0एन0एस0एस0 की धारा 482 के अन्तर्गत दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन, जो सिकटी थाना कांड संख्या– 137/2025, अंतर्गत धारा–115(2), 126(2), 109, 352, 3(5) भा0न्या0सं0 से संबंधित है, को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शाह मो0 शाकिर आलम एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री राजानंद पासवान को सुना।

संक्षेप में अभियोजन वाद सूचक मो0 जुनेद आलम के अनुसार यह है कि दिनांक 27.07.2025 को समय करीब 2 बजे दिन में उसका भाई रफीद आलम घर से कालू चौक जा रहा था कि प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तगण ने उसे गमछा लगाकर आंगन ले गया और लाठी–डंडा से वार करने लगा। अभियुक्त सं0 1 ने उसके भाई के सर में तलवार धॅसा दिया जिससे वह खून से लथ–पथ होकर गिर गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है और कोई घटना कारित नहीं किया है। आवेदक के द्वारा इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई भी जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक को गलत तरीके से इस वाद में फंसाया गया है। अभियोजन की कहानी बिल्कुल गलत एवं मनगढ़ंत है। पीड़ित रफीद आलम की पत्नी हुस्न आरा ने आवेदक से प्रेम संबंध के कारण शादी की थी, इसलिए सूचक आवेदक के घर उसे पीटने आया था। यह विवाद झगड़े के क्रम में हुआ था। घटना की वजह स्वयं सूचक ही है तथा दबाव बनाने के लिए यह वाद किया गया है। अन्य अभियुक्त को ए0बी0पी0 2116/2025 में माध्यम से जमानत दिया जा चुका है। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना किया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते है।

दोनों पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध आरोप है कि इसने जख्मी रफीक आलम के सिर पर जख्म कारित किया गया था। जख्मी रफीक के सिर पर दो चोट पाया गया है। अतः आवेदक का यह कहना कि केवल वैमनस्य वश झूठा आरोप लगाया गया है, विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। इस मामले में अन्य दो अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया है, परंतु आवेदक न तो महिला है और उसी के उपर प्रत्यक्ष रूप से आरोप है कि उसने जख्म कारित किया था, अतः प्रत्यक्ष आरोप एवं कारित किये गये जख्म के स्थान एवं दो चोट को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक का अग्रिम जमानत आवदेन **अस्वीकृत** किया जाता है।

(लेखापित)

Sd/-
(मनोज कुमार तिवारी)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।